वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–I
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)
प्रस्ताव की ऑनलाईन पंजीयन कमांक– FP/CG/OFC/46941/2020

1	परियोजना विवरण	
i	अपेक्षित वनभूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण	बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत सोरली– डोंडीलोहारा, दल्लीराजहरा –गोटाटोला, दल्लीराजहरा – बालोद, दल्लीराजहरा –भानुप्रतापपुर, धमतरी –चारामा, कोरर– मालगांव, अंगारा– भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव – दल्लीराजहरा के मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 2.487 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 0.244 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.164 हेक्टेयर कुल 2.895 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिए जाने की मॉग की जाती है । इस कार्य से डोंडीलोहरा, डोंडी एवं बालोद तहसील अंतर्गत लगभग 80 ग्रामों उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन–देने में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा ।
ii	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है ।
iii	परियोजना की कुल लागत	546 लाख रूपये
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत सोरली– डोंडीलोहारा, दल्लीराजहरा –गोटाटोला, दल्लीराजहरा – बालोद, दल्लीराजहरा –भानुप्रतापपुर, धमतरी –चारामा, कोरर– मालगांव, अंगारा– भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव – दल्लीराजहरा के मुख्य मार्गों

		के समानांतर कुल 197.560 कि.मी. अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने के कार्य में मॉग की जा रही वन भूमि सड़क किनारे (राईट–ऑफ–वे) के अन्तर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी । अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।
v	लागत लाभ विश्लेषण वित्तीय तथा सामाजिक लाभ(संलग्न किए जाने के लिए)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश कमांक/7-9/2011-FC (Pt) नई दिल्ली दिनांक 01.08.2017 के अनुसार 20 हेक्टेयर से कम वनक्षेत्र व्यपवर्तन में आवश्यकता नहीं है ।
vi	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।	डोंडीलोहरा, डोंडी एवं बालोद तहसील अंतर्गत लगभग 80 ग्रामों उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों के लगभग 70000 लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही 1000 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा तथा 60-70 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होंगे ।
2	**कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण**	सड़क समानांतर राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 2.895 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है ।
3	**परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है ।**	वन भूमि में कोई भी व्यक्ति निवासरत् नहीं है एवं वन भूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
i	परिवारों की संख्या	निरंक
ii	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iii	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	चूँकि विस्थापन नहीं किया जा रहा है, इसलिए जानकारी निरंक है ।
4	**क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं)**	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना कमांक एस.ओ. 1533 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 के अनुसार अनुसूची में छूट प्रदान की गई है, इसलिए आवश्यक नहीं है ।

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(वचनबद्धता संलग्न की जाए)	चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत पूर्व डायवर्टेड भूमि के अंदर ही किया जाना है, अतएव पृथक से वनभूमि डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है । अतएव पुनः वनीकरण की वचनबद्धता आवश्यक नहीं है ।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है ।

आयुष जैन
वन मण्डलाधिकारी
बालोद, वन मण्डल बालोद

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)